प्रेस विज्ञप्ति

07.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने नकली डिग्री घोटाले के संबंध में मोनाड विश्वविद्यालय के खिलाफ चल रही जांच के क्रम में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में 15 स्थानों पर 06/11/2025 को तलाशी अभियान चलाया है।

यह मामला विशेष सूचना के आधार पर दर्ज किया गया था कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 18.05.2025 को मोनाड विश्वविद्यालय में छापा मारा था। छापे के दौरान, बड़ी संख्या में जाली और नकली शैक्षणिक दस्तावेज बरामद किए गए, जिनमें मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट शामिल थे, जो सभी मोनाड विश्वविद्यालय, पिलखुआ, हापुड़ द्वारा जारी किए गए थे। आरोपियों ने समय के साथ हजारों ऐसे दस्तावेजों की जालसाजी की और उनकी बिक्री के माध्यम से पर्याप्त अवैध आय अर्जित की। दस आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप थाना-पिलखुआ, जिला-हापुड़, उत्तर प्रदेश में एफआईआर संख्या 290 दिनांक 18.05.2025 को दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पाया कि विजेंद्र सिंह उर्फ विजेंद्र सिंह हुड्डा संगठित रैकेट का मास्टरमाइंड और किंगपिन है। वह मोनाड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और नियंत्रक अधिकारी है और विश्वविद्यालय के नेटवर्क के माध्यम से जाली शैक्षणिक दस्तावेज़ तैयार करने और जारी करवाने में मदद करता था। वह सरस्वती मेडिकल कॉलेज, उन्नाव का सचिव भी है। इसके बाद, उप्र एसटीएफ ने सीजेएम कोर्ट, हापुड़, उत्तर प्रदेश में 11 आरोपियों के खिलाफ दिनांक 11.08.2025 को आरोप पत्र संख्या 01 दाखिल किया।

पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत की गई तलाशी के दौरान, कई अपराध-संकेती दस्तावेज, 43 लाख रुपये की नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।